



भारत का राजपत्र 'The Gazette of India'

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिष्ठान से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 1983/फाल्गुन 30, 1904
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 1983/PHALGUNA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

संकल्प (संशोधन)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1983

संख्या डी-24040/13/81-इल्यू.डी.—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग
1, खण्ड 1, में तारीख 10 दिसम्बर, 1982 को प्रकाशित श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय
(श्रम विभाग) के संकल्प संख्या डी-24040/13/81-इल्यू.डी., तारीख 10 दिसम्बर,
1982 का और संशोधन करते हुए, अमरावती पत्रकारों और गैर-पत्रकार,
समाचार-पत्र कर्मचारियों के अभिकरणों की सिफारिशों जिन्हें सरकार ने स्वीकार
कर लिया था, के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए गठित समिति
की निम्नलिखित रूप से पुनर्गठित किया जाता है :—

1. गठन

1. श्री वीरेन्द्र पाटिल
भ्रम और पुनर्वास मंत्री — अध्यक्ष
 2. श्री एस. बी. पी. पट्टाभिरामाराव,
निस मंत्रालय में राज्य मंत्री — सदस्य
 3. श्री मल्लिकार्जुन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री । — सदस्य
- आर. के. ए. सुब्रह्मण्य, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

RESOLUTION (AMENDMENT)

New Delhi, the 21st March, 1983

No. V-24040/13/81-W.B.—In further modification of the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour Resolution No. V-24040/13/81-W.B. dated the 10th December, 1982 published in the Gazette of India, extra-ordinary, Part I, Section I, dated the 10th December, 1982, the Committee set up to review the progress of implementation of the recommendations of the Tribunals for Working Journalist and non-journalists Newspaper Employees, as accepted by Government, is reconstituted as under :—

1. Composition

- (i) Shri Veerendra Patil,
Minister of Labour and Rehabilitation—Chairman.
- (ii) Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao,
Minister of State in the Ministry of Finance—Member.
- (iii) Shri Mallikarjun,
Deputy Minister in the Ministry of Information and
Broadcasting—Member.

R. K. A. SUBRAMANYA, Addl. Secy.